# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3204 / 2025

अनिता मीणा

–अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग (ग्रुप–2), राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अनूप पारीक, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोचियों की ढाणी, कक्कु, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में नियुक्त होने के लिए कर्मचारी चयन परीक्षा, 2024 में शामिल हुई थी, जिसमें अपीलार्थी ने शिक्षक लेवल–1 के पद के लिए आवेदन किया था और उसकी परीक्षा दिनांक 25.08.2024 को आयोजित की गई, जिसमें चयन के बाद अपीलार्थी इंटरनेट की समस्या के कारण अपने पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं भर सकी। आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बछाड़ी, अलवर में किया गया, जो उसके निवास स्थान से 360 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के तीन वर्ष की पुत्री है एवं वर्तमान में अपीलार्थी गर्भवती है। अपीलार्थी के पति वर्तमान में राजकीय सेवा नागौर जिले में पदस्थापित है। इस प्रकार दूरस्थ पदस्थापन किए जाने

से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित रहना चाहती है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**